संख्या-280/14-2-2017-800(200)/2016

विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी

विषय- लखनऊ में राजमार्ग संख्या-25 के किमी011 से 15.3 के बीच ट्रांसपोर्टनगर से सरोजनीनगर तक वाया डक्ट एवं डिपो पर विद्युत व्यवस्था पहुंचाने हेतु 132 के0वी0 भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.645 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1668/11-सी-लखनऊ, दिनांक 06-2-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

दिनांक 13-2-2014 के दृष्टिगत लखनऊ में राजमार्ग संख्या-25 के किमी011 से 15.3 के बीच ट्रांसपोर्टनगर से सरोजनीनगर तक वाया डक्ट एवं डिपो पर विद्युत व्यवस्था पहुंचाने हेतु 132 के0वी0 भूमिगत केबिल डालने हेतु 0.645 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). **में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।**

(2) प्रस्तावक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

(3) प्रस्तावक के व्यय पर प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

(4) उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रबन्धन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(6) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(8) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/ फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु

(9) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(11) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

अनुश्रवण के अधीन होंगी।

(15) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा

अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं

(17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

(18) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

shasanadesh.up.nic.in/go/intra

(19) इस संबंध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 13-02-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।

दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू- संदर्भित डिजीटल

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते है।

विभाग द्वारा किया जायेगा।

(23) प्रस्तावक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(24) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-280(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

अलीगंज लखनऊ।

4- प्रभागीय वनाधिकारी,अवध वन प्रभाग, लखनऊा
5- मुख्य अभियंता (विद्युत) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पो0लि0 प्रशासनिक भवन विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊा
6- निजी सचिव, प्ररमुख सचिव, वन एवं वन्यजीव, उ0प्र0शासन।
7- गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra